

प्रेम,

श्री अशोक गाँगा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संवा ३

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा के-२ तल्लास रोड,
प्रति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तदनुज्ञा दिनांक: 27 नवम्बर, 1997

विषय:- सरस्वती शिक्षा मन्दिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामबाग बस्ती को सी०बी०एन०के नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषयक पर भूरे पट करने का निवेदन प्राप्त है कि सरस्वती शिक्षा मन्दिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामबाग बस्ती को सी०बी०एन०के नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अंतर्गत कार्य करना पड़ेगा :-

- 111 विद्यालय की संजोक्त होतावली को तन्मय तन्मय पर नवीनीकरण कराया जाय ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होना ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से इसी अनुदान को मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैकिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिल फार दि अजियन स्कूल सर्टीफिकेट अवजामिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था/वैकिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त आगतकीय उत्पत्ति माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूच सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

18। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिशोधन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में शुल्क अनुसूचकों में लिया जा रहा है तथा शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को वेतन मानकानुसंग/न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्थानुसंग दिया जा रहा है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाय कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या गिरिभ्रमता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

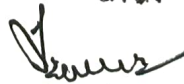
अज्ञात गौगली।
संयुक्त सचिव ।

पु0सं0 4075 111/15-7-1997 तद्विनिर्दिष्ट
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- फंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती ।
- 4- निरीक्षक, अग्नि भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबन्धक, सरस्वती विद्या मन्दिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय ^{राम} ~~गोरखपुर~~ ^{भाग} बस्ती ।

आज्ञा से,



अज्ञात गौगली।
संयुक्त सचिव ।



प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संवा ३,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समूह, केन्द्र,
प्रति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संलग्न: दिनांक: 27 नवम्बर, 1997

विषय:- सरस्वती शिक्षा मन्दिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामबाग बस्ती को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे पट्ट कहने का निदेश हुआ है कि सरस्वती शिक्षा मन्दिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामबाग बस्ती को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

111. विद्यालय की पंजीकृत सीतापटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाय ।
121. विद्युत लय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
131. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न स्थाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
141. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से धैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इवजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
151. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।

- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असातवीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुम्य सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिचर्च नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में शुल्क अनुम्य स्तरों में लिया जा रहा है तथा शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को वेतन मानकानुसंग/न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्थानुसंग दिया जा रहा है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की पुनः या शिथिलता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

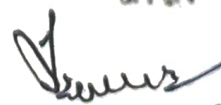
श्रीमती गंगूली ।
संयुक्त सचिव ।

पु.सं. 4075 111/15-7-1997 तद्विनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यमिक संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उ.प्र. लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, सरस्वती शिशु मन्दिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय ^{राम} बाग बस्ती ।

आज्ञा से,


श्रीमती गंगूली ।
संयुक्त सचिव ।